

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 237]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 30, 1973/आषाढ़ 9, 1895

No. 237]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30, 1973/ASADHA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 30th June 1973

S.O. 362(E)/IDRA/73.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 200(E), dated the 5th April, 1973 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, or other instruments in force immediately before the publication of the said Order in the Official Gazette to which the industrial undertaking known as the Refractory Plant near Ramgarh in Hazaribagh District in the State of Bihar belonging to M/s. Assam Sillimanite Limited is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended upto 30th June, 1973 and all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended up to 30th June, 1973;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended upto 31st August, 1973;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order up to 31st August, 1973.

[No. 25/8/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 1973

का० प्रा० 362(अ) आई० डी० आर० ए०/73.—यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०प्रा० 200(ई), तारीख 5 अप्रैल, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा, उद्योग (विकास और विनियमन, अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, अवस्थापनों, पंजाटों या अन्य लिखतों का या उनमें से किसी का प्रवर्तन, जिनका सैसर्स असम सिलीमैनाइट लिमिटेड के बिहार राज्य के हजारीबाग जिले में रामगढ़ के निकट रिफ़ैक्टरी प्लांट नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम को लागू हों, 30 जून, 1973 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार और बाध्यताएं और दायित्व 30 जून, 1973 तक निलम्बित रहेंगे ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 31 अगस्त, 1973 तक बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः, अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की अवधि 31 अगस्त, 1973 तक बढ़ाती है।

[सं० 25/8/72-सी० यू० सी०]

डी० के० मथेना, संयुक्त सचिव।